किसी परियोजना पर सी डी एम (कन्स्ट्रक्शन, डिजाइन एन्ड मैनेजमेन्ट) कब लागू होते हैं? (When does CDM (Construction, Design and Management Regulations) apply to a project?)

सी डी एम रेग्यूलेशन्स सामान्य भवन, सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग निर्माण कार्य पर सर्वाधिक लागू होते हैं. आप साइट के बारे में एचएसई को अवश्य सूचित करें. यदि निर्माण कार्य के बारे में अपेक्षित हो कि यह :

- 30 दिन से अधिक चलेगा; या
- निर्माण कार्य में 500 श्रमिक दिवसों से अधिक कार्य होगा.

निर्माण कार्य शुरू होने से पहले एचएसई को लिखित में सूचित किया जाए, आप फार्म एफ-10 का प्रयोग कर सकते हैं. आप अपनी सूचना अपनी प्रस्तावित साइट के निकटतम एचएसई कार्यालय में भिजवाएं.

- फार्म एफ-10

यदि सेहत और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए लोकल अथॉरिटी ही प्रवर्तन एजेंसी हो तो सीडीएम (CDM) रेग्यूलेशन्स लागू नहीं होते हैं. इसका आशय यह हुआ कि ऐसा कार्य सूचित करने योग्य नहीं है और या तो:

- कार्यालयों, दुकानों और ऐसे ही अन्य भवनों में किए जा रहे हैं जहां भवन के सामान्य क्रियाकलापों में अड़चन डाले बिना और अन्य क्रियाकलापों से निर्माण क्रियाकलापों को अलग किए बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा हो; या
- पाइपों, बॉयलरों या हीटिंग या जल प्रणालियों के रखरखाव या इन्श्यूलेशन को हटाने का हो;

तो सी डी एम रेग्यूलेशन्स लागू नहीं होते हैं.

इस अपवाद के अलावा सीडीएम रेग्यूलेशन्स निर्माण प्रयोजनों के लिए किए जा रहे सभी डिजाइन वर्क पर लागू होते हैं (तोड़-फोड़ तथा विखंडित करने के कामों सहित).

जहां तक ठेकेदारों का सम्बन्ध है, तोड़फोड़ तथा विखंडन के सभी कामों पर ये सीडीएम रेग्यूलेशन्स लागू होते हैं. ये अन्य निर्माण कामों पर भी लागू होते हैं, जब तक कि :

- कार्य 30 दिन तक या कम समय तक चलना हो या साइट पर किसी एक समय में पाँच से कम लोग हों;
- निर्माण कार्य किसी घरेलू ग्राहक के लिए किया जा रहा हो (अर्थात जिस स्थान पर कार्य किया जा रहा है वहां कोई रहता हो या रहेगा). ऐसे मामले में केवल एचएसई को सूचित करने और डिजाइनरों से स्म्बद्ध ड्यूटी ही लागू होती है. हालांकि, कुछ मामलों में घरेलू ग्राहक भी व्यापार, व्यवसाय या अन्य क्रियाकलाप करने वाले किसी डेवलेपर से व्यवस्था कर सकते हैं. उदाहरण के लिए कोई परियोजना पूरी होने से पहले ही डेवलेपर द्वारा रिहायशी भवन को बेचा जा सकता है. रिहायशी ग्राहक तो उस अपूर्ण सम्पत्ति का मालिक है, लेकिन किए जाने वाले निर्माण कार्य की व्यवस्था अभी भी डेवलेपर ही करता है. ऐसी स्थिति में सीडीएम रेग्यूलेशन की अपेक्षाएं डेवलेपर लागू होती हैं.

सन्दर्भ

HSG150 - Health and Safety in Construction (ISBN 0717621065 - HSE Books एचएसई बुक्स से प्राप्त किए जा सकते हैं).